# क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

(कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड़, अजमेर)

**संस्थान परिसर में स्थित दुकान को किराये पर देने बाबत्।**

यह संस्थान परिसर में बनी हुई दुकान को जनरल स्टोर, स्टेशनरी, फोटोकॉपियर प्रिंटर संचालन के लिए किराये पर देने हेतु दिनांक 01.05.2024 को सायं 05:00 बजे तक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित करता है। निविदा की नियम शर्तो की जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाईट www.rieajmer.raj.nic.in का अवलोकन करें एवं निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु संस्थान की परिसर एवं कल्याण शाखा से संपर्क कर सकते है।

प्रशासनिक अधिकारी

# क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,अजमेर

## (कैप्टन डी.पी.चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड, अजमेर)

### संस्थान परिसर में स्थित अपना बाजार के लिए बनायी गयी जगह तथा उसके पास स्थित जगह को किराये पर देने हेतु नियम व शर्ते

1. अपना बाजार के लिये बनाई गई जगह तथा उसके पास स्थित जगह को जनरल स्टोर, स्टेशनरी, फोटोकोपीयर प्रिंटर संचालन के लिए किराए पर देने हेतु निविदा आमंत्रित है।
2. दुकान का प्रतिमाह न्यूनतम किराया रूपये 3000/– होगा।
3. निविदा फॉर्म का शुल्क रू. 100/– रखा गया है जिसे संस्थान की परिसर एवं कल्याण शाखा में निर्धारित शुल्क नकद जमा कराकर कार्यालयी दिवस में एवं कार्यालय समय में दिनांक 22.04.2024 से 30.04.2024 तक प्राप्त कर अंतिम दिनांक 01.05.2024 को सायं 5:00 बजे तक आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर जमा करवाया जा सकता है।
4. निविदा में दुकान के लिए अधिकतम किराए वाले को दुकान संचालित करने हेतु 1 वर्ष हेतु अनुबंध किया जाएगा, सेवाए संतोषजनक रहने पर प्रतिवर्ष अनुसार अगले दो वर्ष के लिए बढाया जा सकता है साथ ही किराए में प्रतिवर्ष 10 % की बढोतरी की जाएगी।
5. निविदा की EMD रूपये 2000/–है जिसे निविदा फार्म के साथ प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर संलग्न किया जाना है एवं परफोरमेंस सिक्यूरिटी डिपोजीट रूपये 10000/–है जोकि अधिकतम किराए वाले को अनुबंध के समय ऑनलाइन एन.ई.एफ.टी./ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाया जाना है।
6. दुकान के आस–पास के क्षेत्र की और दुकान परिसर की साफ सफाई का कार्य दुकान संचालक द्वारा की जाएगी।
7. दुकान का समय प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा।
8. बिजली के बिल खपत के अनुसार दुकान संचालक से प्रतिमाह व्यावसासिक दर से चार्ज किया जाएगा।
9. दुकान को जनरल स्टोर, स्टेशनरी, फोटोकोपीयर प्रिंटर संचालन के रूप में उपयोग में लिया जाएगा साथ ही इसमें डेयरी उत्पाद, सब्जियां एवं फल भी रखे जा सकते है।
10. दुकान में मादक पदार्थो की बिक्री एवं अनैतिक गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
11. दुकान पर कार्यरत कर्मचारी एवं दुकान संचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।
12. दुकान संस्थान के छात्र छात्राओं, परिसर निवासियों एवं स्टाफ के लिए है। बाहरी लोगों का दुकान पर आना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
13. यदि दुकान संचालक का कोई भी कर्मचारी परिसर में अनावश्यक रूप से कहीं घूमता पाया जाता है तो संस्थान द्वारा दुकानदार पर कार्यवाही की जा सकती है।

**अनुभाग अधिकारी**
**(प.एवं.क.)**